सर... ...ी-44 फारम संख्या-562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

24/07/13

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

भूमि विवाद वाद संख्या 80/13-14 सन् 2013

श्रीमती सुर्यकला देवी बनाम श्री अमर नाथ मिश्र

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	वादी सुर्यकला देवी पे० स्व० नागेन्द्र ठाकुर सा० नरौंधा, दरभंगा, प्रखण्ड जाले का परिवाद पत्र जिला जन शिकायत कोषांग दरभंगा के निबन्धन संख्या 1258 दिनांक 25-04-13 के द्वारा प्राप्त हुआ।	24.5.13 5-6-13. 13/06/13
	वादी के परिवाद पत्र के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि वादी के भूमि को श्री अमर नाथ मिश्र पिता मखनू मिश्र के द्वारा अनधिकृत रूप से बाधा उत्पन्न कर दिए हैं।	20/6/13 28/6/13 08/07/13
	वादी के परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में वाद को प्रतिगृहित किया जाता है।	18/07/13 06/08/13 17.8.13
	पक्षकार को सूचना निर्गत करें।	24/08/13
	अभिलेख दिनांक ~~[illegible]~~ 10.09.13 को रखें।	10.9.13

लेखापित 24/7
भू० सु० उप० समा०
सदर दरभंगा

24/7
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा

10-5-13. वादी / अनु०
प्रतिवादी /

पुन दिनांक 24-5-13.

24-5-13. वादी की हाजरी | अनुप०
प्रतिवादी की हाजरी |

05/06

05/06/13 वादी | अनु०
प्रतिवादी |
~~अ० आ० के माध्यम से सूचना निर्गत हो~~
13/06

13-6-13 वादी की हाजरी नहीं है
प्रतिवादी की हाजरी नहीं है।

पुन दिनांक - 20-6-13.

20/06/13 वादी | अनुपस्थित
प्रतिवादी |

पुनः दिनांक 28/6/13

28/06/13 वादी } अनुपस्थित है।
प्रतिवादी }

अभिलेख दिनांक 08/07/13

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
08/07/13	वादी की हाजरी नहीं है। विपक्षी अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 18/07/13 08.7.13 भू०सु०उ०समा०	
18/07/13	वादी अनुपस्थित विपक्षी अनुपस्थित अभिलेख दिनांक 06/08/13 को रखें भू०सु०उ०समा०	
06/08/13	वादी अनुपस्थित विपक्षी अनुपस्थित पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 17/08/13 को रखें। भू.सु.उ.समा०	
17/8/13	उभयपक्ष- अनु०। पुनः दिनांक- 24.8.13 को रखें। भू.सु.उ.समा.	

24.8.13. उभय पक्ष - अनु० ।

पुनः दिनांक - 10.9.13 को रखें ।

ह० सू० उप० म०म०

10.9.13 उभयप० अनु०

पुनः दिनांक - 26.10.13 को रखें ।

ह० प्र० उप० म०म०

26.10.13 उभयपक्ष- अनु०

पुनः दिनांक 16.11.13 को रखें ।

ह० प्र० उप० म०म०

16.11.13 उभयपक्ष- अनु० ।

6.12.13 को रखें ।

ह० प्र० उप० म०म०

06/12/13 उभयपक्ष- अनु०

वादी को किया गया सूचना का तामिला अप्राप्त है। इससे यह ज्ञात होता है कि वादी को किया गया सूचना प्राप्त है। उसके बावजूद भी वादी कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इससे यह ज्ञात होता है कि वादी को वाद के निस्तार में अभिरुचि नहीं है।

अतएव इस वाद की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है।

06/12/13
ग्राम कचहरी उप सरपंच
सदा, दरभंगा।